

सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 30)

[11 सितम्बर, 1981]

कुछ सिनेमा कर्मकारों के कल्याण की उन्नति सम्बन्धी क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए कथा फिल्मों पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “चलचित्र फिल्म” का वही अर्थ है जो चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) में है ;

(ख) “कथा फिल्म” से भारत में पूर्णतः या भागतः निर्मित पूरी लम्बाई वाली ऐसी चलचित्र फिल्म अभिप्रेत है जिसका कोई रूप विधान हो और जिसकी कहानी कुछ पात्रों के आस-पास घूमती हो और जिसका कथानक मुख्यतः संवादों के माध्यम से व्यक्त होता हो, न कि पूर्णतः वर्णन, सजीव या कार्टून चित्रण द्वारा किया जाता हो और इसके अन्तर्गत विज्ञापन फिल्म नहीं है ;

(ग) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(घ) किसी कथा फिल्म के संबंध में, “निर्माता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) ऐसी फिल्म का निर्माता ; या

(ii) जहां चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 4 के अधीन ऐसी फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति।

3. कथा फिल्मों पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण—(1) उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक कथा फिल्म पर एक हजार रुपए की दर से उत्पाद-शुल्क उपकर के रूप में उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत उत्पाद-शुल्क, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, चलचित्र फिल्म पर उद्ग्रहणीय किसी उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

4. उत्पाद-शुल्क का संदाय—(1) किसी कथा फिल्म पर धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत उत्पाद-शुल्क ऐसी फिल्म के निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार को उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको वह चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 4 के अधीन ऐसी फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है, संदेय होगा :

परन्तु ऐसी फिल्म का निर्माता ऐसी फिल्म की बाबत अपने द्वारा संदत्त शुल्क के प्रतिदाय के लिए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित आधार पर आवेदन कर सकेगा कि—

(क) ऐसी फिल्म की बाबत कोई प्रमाणपत्र देने से इंकार करने वाला आदेश चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5क के साथ पठित धारा 4 के अधीन किया गया है ; और

(ख) यथास्थिति, उसका ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का आशय नहीं है या वह ऐसे आदेश का पुनरीक्षण नहीं चाहता है अथवा उक्त आदेश की उक्त अधिनियम के अधीन अपील पर या पुनरीक्षण पर पुष्टि कर दी गई है ;

परन्तु यह और कि यदि किसी फिल्म की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र, उसकी बाबत संदत्त शुल्क का पूर्वगामी परन्तुक के अधीन प्रतिदाय करने के पश्चात् दिया गया है तो, निर्माता इस बात के लिए दायी होगा कि वह ऐसे प्रतिदाय किए गए शुल्क का केन्द्रीय सरकार को प्रतिसंदाय, ऐसे प्रमाणपत्र के दिए जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर करे।

(2) प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज—

(क) किसी फिल्म के संबंध में शुल्क की ऐसी रकम पर, जिसका कि उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार ने प्रतिदाय किया है, ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख से ऐसे प्रतिदाय की तारीख तक के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय होगा ;

(ख) शुल्क की किसी ऐसी रकम पर, जिसका किसी फिल्म के निर्माता को उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रतिदाय किया गया है, और जिसका उसने उस उपधारा के द्वितीय परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार की प्रतिसंदाय किया है, ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख से ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख तक के लिए उस फिल्म के निर्माता द्वारा संदेय होगा ।

5. शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना—धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क के आगम भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे ।

6. केन्द्रीय सरकार की छूट देने की शक्ति—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में कथा फिल्म की विषय वस्तु, उसकी तकनीकी क्वालिटी और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के सभी या किसी उपबंध से ऐसी कथा फिल्म को छूट दे सकेगी ।

7. उत्पाद-शुल्क का संदाय न किए जाने पर शास्ति—यदि धारा 4 के अधीन किसी कथा फिल्म के निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय उत्पाद-शुल्क का [जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा उत्पाद-शुल्क भी है जिसका प्रतिदाय कर दिया गया है किन्तु जिसका उस धारा की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन उस सरकार को प्रतिसंदाय किया जाना अपेक्षित है], यथास्थिति, उस तारीख के पूर्व या उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस सरकार को संदाय नहीं किया गया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह बकाया है और इस निमित्त विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, निर्माता पर ऐसे प्रत्येक मास के लिए, जिसके दौरान उत्पाद-शुल्क बकाया हो, पचास रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु ऐसी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे निर्माता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और यदि ऐसी सुनवाई के पश्चात् उक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम किसी युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण से हुआ था, तो इस धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

8. इस अधिनियम के अधीन शोध रकम की वसूली—किसी कथा फिल्म के निर्माता से इस अधिनियम के अधीन शोध किसी रकम की वसूली (जिसके अन्तर्गत धारा 7 के अधीन संदेय शास्ति, यदि कोई हो, है) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी रीति से की जाएगी जिस रीति से भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

10. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क का निर्धारण और संग्रहण,

(ख) वह प्राधिकारी, जो धारा 7 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा,

(ग) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।